

## उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

### आदेश

क्रमांक **1175** / गोपनीय / 2020  
II-2-33/57 (Pt.-19)

जबलपुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के अधिसूचना दिनांक 2/4-03-2002, 14-01-2005, 04-11-2009, 20-05-2011 एवं 30-07-2013 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित अधिकारी को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक स्तम्भ क्रमांक (3) में वर्णित स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ क्रमांक (4) में वर्णित स्थान पर स्थानान्तरित कर स्तम्भ क्रमांक (5) में वर्णित कुटुम्ब न्यायालय में पदस्थ करता है :—

### सा र णी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन।	रायसेन	ग्वालियर	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से श्री अनिल कुमार सिंह के स्थान पर।

- टिप्पणी :— 1. रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 1164/गोपनीय/2020/दो-2-33/57 (Pt.-19), दिनांक 05.12.2020, जहां तक इसका संबंध श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन का रायसेन से प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर की हैसियत से स्थानान्तरण से है, एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।
2. रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg.(I.T) (SA)/2018/368, दिनांक 01.03.2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,



(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 1176 / गोपनीय / 2020  
II-2-33/57 (Pt.-19)

जबलपुर, दिनांक 09 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि :-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004 को आवश्यक कार्यवाही हेतु इस सूचना के साथ अग्रेषित है कि वे उक्त आदेश में सरल क्रमांक 1 में दर्शित न्यायिक अधिकारी का पदस्थापना आदेश, राज्य शासन से उनकी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृती प्राप्त होने की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, अतः तदनुसार कार्यवाही कर, आदेश इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित किए जाने का कष्ट करें।
3. प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी०एम० अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2), मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
5. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित । वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर दिनांक 21.12.2020 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।
6. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनके वर्तमान पद का कार्यभार इस प्रकार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे नवीन पदस्थापना के स्थान पर दिनांक 21.12.2020 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें तथा तत्संबंधी सूचनण इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को सूचनार्थ हेतु अग्रेषित ।
8. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
  - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे०ई०-१, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म०प्र०) को सूचनार्थ अग्रेषित ।
  - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
  - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

- (4) सदस्य सचिव / उप सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (5) सदस्य सचिव, स्टेट कोर्ट मैनेजमैट सिरटम, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (6) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता) / (न्यायिक) / (आई.एल.आर. एवं परीक्षा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (7) रजिस्ट्रार (परीक्षा एवं लेबर ज्यूडीशियरी) / (कार्य एवं अधोसंरचना) / (जिला स्थापना) / (आई०&एल०) / (न्यायिक-१) / (न्यायिक-२) / (सतर्कता) / (प्रशासन) / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / रजिस्ट्रार-सह-सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (8) संचालक / अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
9. रजिस्ट्रार (ई०) / लेखा अधिकारी / बजट अधिकारी / ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल) / डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-१) / (न्यायिक-२), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
10. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति (कार्यवाहक) महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति (कार्यवाहक) महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
11. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
12. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्डौर / इन्डौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
13. माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर / ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
14. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
15. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर / लाइब्रेरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

टिप्पणी :— रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg.(I.T) (S.A)/2018/368, दिनांक 01.03.2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

  
(राजेन्द्र कुमार वाणी)  
रजिस्ट्रार जनरल

